

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

1. परिचय

क्षेम प्रकृति व्यक्तिगत किसानों के लिए तैयार की गई एक मज़बूत फसल सुरक्षा बीमा योजना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और वन्यजीवों से संबंधित जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कवरेज प्रदान करती है, जो विशिष्ट फसल प्रकार और बीमित बहुभुज क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। यह प्रकृति बीमा योजना आपके कृषि निवेश की सुरक्षा और पूरे फसल चक्र के दौरान मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

नोट: यह विवरणिका केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई बीमा अनुबंध नहीं है। प्रत्येक बीमा कवर विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है। कृपया पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज़ देखें। आप हमारी वेबसाइट www.kshema.co पर पॉलिसी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर 1800 572 3013 पर कॉल कर सकते हैं।

2. खरीदारी का सफर

यह बीमा पॉलिसी प्ले स्टोर से क्षेम ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करके और खरीद प्रक्रिया पूरी करके या हमारे पीओएसपी (एम) से संपर्क करके खरीदी जा सकती है।

3. बीमा खरीदने का समय

कंपनी खरीफ और रबी फसल मौसम के दौरान बीमा कवर के लिए नामांकन विंडो खोलती है। प्रत्येक राज्य के लिए, विभिन्न कारकों के आधार पर, नामांकन विंडो अलग से तय की जाती है, और उस अवधि के दौरान बीमा उपलब्ध होगा। निर्धारित तिथि के बाद, कोई भी यह बीमा नहीं खरीद सकता।

आपको अपनी फसल बोने के 15 दिनों के भीतर बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करना होगा। आप नामांकन अवधि के भीतर किसी भी बाद की तारीख से बीमा प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ऐप में नामांकन अवधि देखें या हमारे ग्राहक सेवा नंबर 1800 572 3013 पर संपर्क करें।

4. इस बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलें

180 दिनों की अवधि वाले फसल जीवनचक्र के अंतर्गत सभी मौसमी फसलों को कवर किया जा सकता है।

5. कवरेज हाइलाइट्स

आप निम्नलिखित खतरों के कारण फसल की हानि/क्षति की स्थिति में इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा करने के पात्र हैं:

- नामित चक्रवात
- सुनामी सहित भूकंप
- बिजली गिरने से आग
- बाढ़
- जलप्लावन (यह कवरेज हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं होगा)

- भूस्खलन
- आंधी
- केवल पशु हमला a) हाथी b) जंगली सूअर
 - इस जोखिम के अंतर्गत अधिकतम कवरेज: कुल पॉलिसी बीमा राशि का 25%

6. प्रमुख कारण जो इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं

निम्नलिखित जोखिम/जोखिम क्षेत्र प्रकृति के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं। बहिष्कृत हानियों की पूरी सूची के लिए कृपया पॉलिसी शब्दावली देखें।

- युद्ध, परमाणु जोखिम, आतंकवाद
- किसी भी प्रकार के परिणामी नुकसान
- दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी, चोरी, दंगे, हड़तालें
- प्रदूषण, संदूषण, राजनीतिक जोखिम
- ज्वालामुखी विस्फोट, तटीय/नदी कटाव
- कटाई के बाद होने वाली हानियाँ (भले ही उपज को काटा और फैलाया गया हो)
- पशु हमले के कारण फसल की हानि/क्षति पॉलिसी कवरेज के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है
- जलस्रोतों को जलप्लावन से होने वाली क्षति
- पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित जोखिम नहीं
- सहायक संरचनाएं (जैसे, बाड़, स्टेकिंग, ट्रेलिस, जाली, ढांचा आदि)
- अंतरफसल या मिश्रित फसल
- खेत के स्थान निर्देशांक में बेमेल
- अतिरिक्त दावा और परिचालन लागत हानि
- मलबा हटाने या फसल निपटान के लिए व्यय
- बीमित बहुभुज के बाहर क्षति
- नर्सरी फसलें, उपज हानि
- प्रतीक्षा अवधि के नुकसान
- धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे

7. दावा प्रक्रिया और आपकी ज़िम्मेदारियाँ

यदि किसी कवर किए गए जोखिम के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो कृपया इन चरणों का पालन करें:

- हमें तुरंत सूचित करें: घटना के 24 घंटे के भीतर क्षेमा ऐप, ईमेल (customer.support@kshema.co) या टोल-फ्री नंबर 1800 572 3013 के माध्यम से नुकसान की रिपोर्ट करें।
- बीमा दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़
 - क्षेमा ऐप का उपयोग करके दिनांक/समय टिकटों के साथ जियो-टैग्ड फ़ोटो कैप्चर करें।
 - प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाते हुए सम्पूर्ण बीमित क्षेत्र की वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करें।
 - अनुमानित कृषि क्षेत्र और सटीक खेत स्थान सहित हानि/क्षति का विस्तृत विवरण प्रदान करें।
- अन्य पॉलिसियों का खुलासा करें: उसी कृषि भूमि पर उसी फसल को कवर करने वाली किसी अन्य बीमा पॉलिसियों का विवरण साझा करें।
- साक्ष्य सुरक्षित रखें: क्षतिग्रस्त फसल को तब तक सुरक्षित रखें जब तक क्षेमा उसका निरीक्षण, सत्यापन और मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेता।
- सहायक दस्तावेज़ जमा करें
 - हानि की तिथि पर बीमा योग्य हित का प्रमाण।
 - हानि की तिथि से 7 दिनों तक हर दूसरे दिन फोटो और वीडियो।
 - क्षेमा द्वारा अनुरोधित कोई अतिरिक्त जानकारी।
- दावा निपटान का आधार:
दावे की प्रक्रिया आपके द्वारा प्रस्तुत उपग्रह चित्र, फोटो और वीडियो क्लिप के आधार पर की जाएगी, तथा नुकसान का फार्मूला फसल की अवस्था और प्रभावित कृषि क्षेत्र के अनुपात पर निर्भर करेगा।
- शिकायत निवारण

हम आपकी सभी चिंताओं का शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चरण 1: हमसे संपर्क करें

- ईमेल: customer.support@kshema.co
- फ़ोन: 1800 572 3013 (टोल-फ्री)
- पता: क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, बेगमपेट, हैदराबाद – 500016
- ऐप: क्षेमा एप्लीकेशन

चरण 2: यदि आवश्यक हो तो आगे बढ़ाएँ

- ईमेल: grievance.cell@kshema.co या gro@kshema.co
- फ़ोन: 1800 570 2998 (टोल-फ्री)
- वेबसाइट: शिकायत निवारण अनुभाग

चरण 3: बाहरी प्राधिकरण

- बीमा लोकपाल: www.cioins.co.in
- IRDAI Bima Bharosa Portal: bimabharosa.irdai.gov.in
- IRDAI शिकायत कॉल सेंटर: 1800 4254 732 / 155255

kshema